

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर... दीगोद

(शिविर स्थान... सीमल्या))

आदेश

दिनांक 16/05/23

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी... सीमल्या

...व भू.अ.नि. सीमल्या ...की रिपोर्ट तथा तहसीलदार... दीगोद


नायब तहसीलदार...की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम... सीमल्या ...तहसील... दीगोद ...व

जिला... दीगोद ...की जमाबन्दी सम्वत्... 2075-76 ...में खाता संख्या... 342

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>सीमल्या</u>	<u>342</u>	<u>सुमित्रा काई पालन हेमराज रिस्ता 1/2 जाते काई</u>	<u>सुमित्रा काई पालन हेमराज रिस्ता 1/2 जाते मेयवाल</u>



 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 [दीगोद, जिला कोटा (राज.)]

क्रमांक :- 66

दिनांक :- 16/05/23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार... दीगोद ...को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली


 उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 [दीगोद, जिला कोटा (राज.)]